कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री पूनम इन्टरप्राइजेज, 10, बी0 एन0 रोड, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**044 / 13, 13.09.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शाह, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री पूनम इन्टरप्राइजेज, 10, बी0 एन0 रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 13.09.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' orthopedic appliances including crutches, surgical belts and trusses, splints and other fracture appliances ' पर, कर की दर निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शाह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-02 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Aids and implements including motorized / non-motorized trycycle used by handicapped persons.

उक्त प्रविष्टि के अनुसार विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये गये Aids & implements करमुक्त हैं। Aids का तात्पर्य helpful device तथा Implements का मतलब equipment, apparatus, tool या Kit से होता है। इस सन्दर्भ में उनके द्वारा commodity code संख्या-90180000 का सन्दर्भ दिया गया तथा Medical & Health Department, New Delhi के director General of Health and Services का एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि अस्थाई अथवा स्थाई दोनों प्रकार के विकलांग व्यक्तियों द्वारा सन्दर्भित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अधिवक्ता फर्म द्वारा अन्य राज्यों के नोटिफिकेशन एवं निर्णयों का भी सन्दर्भ दिया गया। इस सन्दर्भ में महाराष्ट्र राज्य के नोटिफिकेशन एवं हरियाणा वैट एक्ट, 2003 की धारा-56 (3) (b) में पारित आदेश दिनांक 18.04.2007 एवं आन्ध्र प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की धारा-67 में पारित आदेश का भी सन्दर्भ प्रस्तुत किया गया है। यहॉं पर सन्दर्भित वस्तुओं को करमुक्त किया गया है। उनके द्वारा सन्दर्भित वस्तुओं की करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-1869, दिनांक 07.10.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में विभिन्न प्रकार के Splints एवं Trusses पर करदेयता का प्रश्न उठाया गया है जिन्हें उनके द्वारा स्वयं इलाज में प्रयोग होना स्वीकार किया गया है। अत: यह वस्तुएं Aids and implements नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि Handicapped को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। Person With Disabilities Act 1955 के अन्तर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार 40% से अधिक का

.....2

<u>सर्वश्री पूनम इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-044 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ही विकलांग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह कहा गया कि प्रार्थी द्वारा उल्लिखित वस्तुएं न तो Aids and implements हैं और न ही विकलांगों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। यह भी कहा गया कि HSN कोड के आधार पर करदेयता निर्धारित नहीं की जा सकती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-02 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Aids and implements including motorized / non-motorized trycycle used by handicapped persons.

इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने HSN कोड संख्या-90180000 का सन्दर्भ दिया है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल की प्रविष्टि से पूर्णत: भिन्न है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत शिड्यूल के आधार पर करदेयता निर्धारित की जाती है। HSN कोड न तो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में विज्ञापित है और न ही इस आधार पर करदेयता निश्चित की जाती है। प्रार्थी द्वारा अन्य प्रान्तों की प्रविष्टियों का सन्दर्भ दिया गया है। अन्य प्रान्तों की प्रविष्टियॉं भिन्न हैं। उदाहरण के लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि में विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे Aids and implements को विस्तार देते हुए सन्दर्भित राज्य द्वारा 18 वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें क्रमांक-18 पर Cataract के आपरेशन में प्रयोग होने वाले लेन्स को करमुक्त किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में सभी प्रकार के लेन्स उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-79 पर 4% की दर से करयोग्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा हरियाणा वैट एक्ट, 2003 की धारा-56 (3) (b) एवं आन्ध्र प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की धारा-67 में पारित आदेशों का भी सन्दर्भ दिया गया है। इन आदेशों में HSN कोड के आधार पर निर्णय लिया गया है एवं विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग एवं परिभाषाओं पर विचार नहीं किया गया है। यह निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं।

. प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित वस्तुएं online medical dictionary एवं Wikipedia में निम्न भॉंति परिभाषित हैं:-

<u>Orthopedic appliances</u>

Device used to influence growth and / or position of bones.

<u>Truss</u>

A truss is a kind of surgical appliance, particularly one used for hernia patients. A truss provides support for the herniated area, using a pad and belt arrangement to hold it in the correct position.

<u>Splint</u>

A splint is a device used for support or immobilization of limbs or of the spine.

विभिन्न वस्तुओं की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि crutches को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं arthopedic treatment के लिए प्रयोग होती हैं और Aids and implements की श्रेणी में नहीं आती हैं। केवल crutches

..........3

का प्रयोग विकलांगों द्वारा Aids and implements के रूप में किया जाता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा निम्न वस्तुओं पर करदेयता जाननी चाही गयी है :-

‘ orthopedic appliances including crutches, surgical belts and trusses, splints and other fracture appliances ’

उनके द्वारा सन्दर्भित वस्तुएं arthopedic appliances surgical belts and trusses, splints and other fracture appliances मेडिकल डिवाइस हैं जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-79 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होंगी। केवल crutches, ही Aids and implements used by Handicapped की श्रेणी में करमुक्त हैं।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2013

ह0 / 19.12.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।